न्यायालय जिला कलक्टर सीकर
पीठासीन अधिकारी, नरेश कुमार ठकराल आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या: 16/2017/अपील आवश्यक वस्तु अधिनियम

दानाराम पुत्र दल्लाराम, जाति बलाई, निवासी जाचास, तहसील व जिला सीकर।

अपीलान्ट

बनाम

1. जिला रसद अधिकारी, सीकर।

रेस्पोडेन्ट

उपस्थित:—

1. श्री भागीरथ मल अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री इन्द्रपाल मीणा प्रवर्तन निरीक्षण रेस्पोडन्ट की ओर से।

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 11.12.2012 जिला रसद अधिकारी सीकर

निर्णय

सुनवाई दिनांक:06 फरवरी, 2018 दिनांक:06 फरवरी, 2018

1. अपीलान्ट ने अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार से होना अंकित किया है कि:—

(1) अपीलांट ग्राम जाचास व अस्थायी बाडलवास पंचायत समिति धोद का उचित मूल्य दुकानदार है, जो सन् 2005 से उचित मूल्य का दुकानदार के रूप में नियमित कार्य करता चला आ रहा है। ग्राम बाडलवास का सरपंच हरदेवाराम जो ग्राम बाडलवास का उचित मूल्य दुकानदार था, उसको हटाकर अपीलांट को ग्राम जाचास व बाडलवास का उचित मूल्य दुकानदार बनाया गया था। अपीलांट नियमित रूप से राशन वितरण करता चला आ रहा है, तथा किसी प्रकार की अनियमितता नहीं की हैं, लेकिन पार्टीबाजी के आधार पर ग्राम पंचायत बाडलवास के सरपंच ने जान बूझकर सत्यापन नहीं किया तथा जिला रसद अधिकारी कार्यालय मे स्टॉक सत्यापन नहीं करवाने की शिकायत पर अपीलांट का बिना किसी कारण के प्राधिकार पत्र निलम्बन करने का गलत आदेश किया गया है।

जिला कलक्टर, सीकर

जिला कलक्टर (राज.)
Web Copy - Not Official
Scanned by CamScanner

(2) आदेश जैर अपील देने से पूर्व रेस्पोडेन्ट ने अपीलांट को कोई नोटिस सूचना व सुनवाई का अवसर नहीं दिया है। तथा बिना कोई जांच व तहकीकात के इकतरफा में आदेश दिया है।

(3) अपीलांट सन् 2005 से नियमित रूप से ग्राम जाचास में स्थायी तथा बाडलवास का अस्थाई राश्न वितरण का कार्य करता आ रहा है। राशन दितरण में ग्रामवासियों द्वारा आज तक अनियमितता की कोई शिकायत नहीं की गई है, फिर भी रेस्पोडेन्ट ने बिना किसी कारण के अपीलांट का प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया।

(4) ग्राम बाडलवास का सरपंच हरदेवाराम जो ग्राम बाडलवास का उचित मूल्य दुकानदार था, उसको हटाकर अपीलांट को ग्राम जाचास व बाडलवास का उचित मूल्य दुकानदार बनाया गया था। जिसके कारण सरपंच ग्राम पंचायत बाडलवास अपीलांट से नाराज था। अपीलांट द्वारा बार बार निवेदन करने के बावजूद भी राशन वितरण व स्टॉक का जानबूझकर सत्यापन नहीं किया जिसके कारण अपीलांट ने उप सरपंच से सत्यापन करवाया तथा जिसके बाबत सरपंच ने रेस्पोडेन्ट के यहां स्टॉक सत्यापन नहीं करवाने की शिकायत पर रेस्पोडेन्ट ने बिना तहकीकात व जांच के कानूनी प्रावधानों के विपरीत आदेश किया है।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर आदेश जिला रसद अधिकरी सीकर दिनांक 11.12.2012 निरस्त फरमाया जावे।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिए नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट की ओर से प्रवर्तन निरीक्षण श्री इन्द्रपाल मीणा उपस्थित आये।

3. बहस अपीलांट सुनी गई।

4. वकील अपीलान्ट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए अभिकथन किया कि अपीलांट ग्राम जाचास व अस्थायी बाडलवास पंचायत समिति धोद का उचित मूल्य दुकानदार है, जो सन् 2005 से उचित मूल्य का दुकानदार के रूप में नियमित कार्य करता चला आ रहा है। ग्राम बाडलवास का सरपंच हरदेवाराम जो ग्राम बाडलवास का उचित मूल्य दुकानदार था, उसको हटाकर अपीलांट को ग्राम जाचास व बाडलवास का उचित मूल्य दुकानदार बनाया गया था। जिसके कारण सरपंच ग्राम पंचायत बाडलवास अपीलांट से नाराज था। अपीलांट द्वारा बार बार निवेदन करने के बावजूद भी राशन वितरण व स्टॉक का जानबूझकर सत्यापन नहीं किया जिसके कारण अपीलांट ने उप सरपंच से सत्यापन करवाया तथा जिसके बाबत सरपंच ने रेस्पोडेन्ट के यहां स्टॉक सत्यापन नहीं करवाने की शिकायत पर रेस्पोडेन्ट ने बिना तहकीकात व जांच के कानूनी

जिला कलक्टर, सीकर

Scanned by CamScanner

प्रावधानों के विपरीत आदेश पारित किया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर आदेश दिनांक 11.12.2012 निरस्त फरमाया जाना प्रार्थनीय है।

5. रेस्पोडेन्ट की ओर से उपस्थित प्रतिनिधि ने अभिकथन किया कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली निरीक्षण प्रपत्र दिनांक 24.09.2012 निरीक्षणकर्त्ता इन्द्रपाल मीणा, प्रवर्तन निरीक्षक के द्वारा निरीक्षण के दौरान अनियमितता के आधार पर तथा रिकॉर्ड का सत्यापन नहीं करवाने के कारण अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाकर, अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया जिसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं हैं। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाने का श्रम करें।

6. हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का बगौर अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात से स्पष्ट होता है कि :–

(1) ग्राम पंचायत बाडलवास पंचायत समिति धोद जिला सीकर की पंचायत बैठक कार्यवाही विवरण रजिस्टर (पृष्ठ संख्या III से XI) के अवलोकन से जाहिर है कि दिनांक 13.04.2011 से दिनांक 20.10.2012 तक लगभग 40 बैठकें हुई हैं, जिनमें एक भी बैठक में अपीलांट की उपस्थिति दर्ज नहीं है।

(2) सार्वजनिक वितरण प्रणाली निरीक्षण प्रपत्र दिनांक 24.09.2012 निरीक्षणकर्त्ता इन्द्रपाल मीणा, प्रवर्तन निरीक्षक के द्वारा निरोक्षण के दौरान जो तीन बिन्दु में अनियमितताओं का विवरण अंकित किया गया है, उनमें से बिन्दु संख्या 2 व 3 में वर्णित अनियमितता बाबत अपीलांट द्वारा दिये गये मौखिक स्पष्टीकरण से सत्यता की पुष्टि मौके पर ही कर ली गई। तथा बिन्दु संख्या 1 में वर्णित अनियमितता बाबत अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 23.10.2012 से स्पष्टीकरण दिया जा चुका है।

(3) जिला रसद अधिकारी सीकर के पत्र कमांक 191 दिनांक 11.12.2012 से प्रवर्तन निरीक्षण, सीकर की रिपोर्ट के आधार पर बरती गई अनियमितताओं के लिए कारण बताओं नोटिस दिया गया, जिसमें अपीलांट को राशन सामग्री का उठाव, वितरण तथा शेष स्टॉक का सत्यापन नहीं करवाया जाना लिखा गया है, तथा इस संबंध में अपीलांट को स्पष्टीकरण/जवाब दिनांक 21.12.2012 को प्रस्तुत करने लिखा गया है। जबकि जिला रसद अधिकरी सीकर के द्वारा आदेश कमांक/रसद/अभियोग/2012/190 दिनांक 11.12.2012 को ही अपीलांट का प्राधिकार पत्र आगामी आदेश तक निलम्बित किया गया है।

जिला कलक्टर सीकर

Scanned by CamScanner

(4) ग्राम बाडलवास का सरपंच हरदेवाराम जो ग्राम बाडलवास का उचित मूल्य दुकानदार था, उसको हटाकर अपीलांट को ग्राम जाचास व बाडलवास का उचित मूल्य दुकानदार बनाया गया। अपीलांट के बताये अनुसार उनके द्वारा बार बार निवेदन करने के बावजूद भी सरपंच द्वारा राशन वितरण व स्टॉक का जानबूझकर सत्यापन नहीं किया जिसके कारण अपीलांट ने उप सरपंच से सत्यापन करवाया। अपीलांट द्वारा इसका कोई साक्ष्य/सबूत प्रस्तुत नहीं किया। हालांकि उप सरपंच पुष्पा कंवर, पूर्व संरपच बागाराम जाखड़ तथा अन्य ग्रामवासियों ग्राम बाडलवास द्वारा दिनांक 17.12.2012 को जिला कलक्टर महोदय, सीकर के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत कर इस बात की पुष्टि की गई है कि ग्राम पंचायत में आज तक कोई नियमानुसार ग्राम सभा नहीं हुई है, यदि कागजों में होना बताया है तो वह फर्जी है तथा 99 प्रतिशत क्षैत्र के मतदाताओं को यह भी पता नहीं कि ग्राम सभा कब और कहां होती है।

7. उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि दानाराम पुत्र दल्लाराम, उचित मूल्य दुकानदार ग्राम जाचास द्वारा बरती गई अनियमितताओं के कारण जिला रसद अधिकारी, सीकर द्वारा डीलर का प्राधिकार पत्र दिनांक 11.12.2012 को निलम्बन किया गया है। डीलर का प्राधिकार पत्र निलम्बन किये 5 वर्ष से अधिक समय हो चुका है, जबकि नियमानुसार डीलर के निलम्बन आदेश का निस्तारण 90 दिवस की अवधि में हो जाना चाहिए। वर्णित स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए जिला रसद अधिकारी सीकर का आदेश दिनांक 11.12.2012 निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण जिला रसद अधिकारी सीकर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि डीलर द्वारा बरती गई अनियमितता के कम में समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान कर अपना विधिसम्मत निर्णय पारित करें।

8. निर्णय आज दिनांकः 06 फरवरी, 2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नरेश कुमार ठकराल)
जिला कलक्टर, सीकर
जिला कलक्टर, सीकर

Scanned by CamScanner